न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/335

1. रमेश पुत्र लालू जाति भील ।
2. गोपाल आत्मज रामलाल जाति भील ।
3. रामस्वरूप आत्मज रामलाल ज़ाति भील ।
4. बादाम बाई पत्नी भरोस पुत्री लाल जाति भील निवासीगण ग्राम खेडा जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. गंगाबाई पत्नी गोपाल जाति भील निवासी ग्राम खेडा जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री मोहम्मद शरीफ, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।
3. श्री राजेन्द्र वर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 02 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 25.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2019 एवं डिक्री दिनांक 23.07.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92 (ए) एवं 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम उम्मेदपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 79 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के पिता श्री काल्या आत्मज धूल्या को दिनांक 20.08.1972 को विधिवत आवंटित हुई थी और इंतकाल संख्या 40 से उक्त भूमि आवंटी के गैर खातेदारी में दर्ज की गई । उक्त भूमि इंतकाल संख्या 114

दिनांक 14.02.1983 से वादीगण की खातेदारी में दर्ज हो चुकी है । उक्त भूमि पर वादीगण काबिज काश्त हैं । सेटलमेंट ने उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 209 रकबा 0.39 हैक्टर कायम किये हैं जो उक्त रकबे से कमी करते हुए दर्ज किया गया है । उक्त भूमि के लगवा गत आराजी खसरा नम्बर 65 थी जिस पर कंवरलाल वल्द हीरा की खातेदारी की भूमि थी जिसका रकबा सेटलमेंट से पूर्व 04 बीघा 05 बिस्वा था । सेटलमेंट ने उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 208 रकबा 0.83 हैक्टर कायम किया । वादीगण की खातेदारी में दर्ज हुई भूमि का रकबा कर करते हुए पूर्व खातेदार कंवर लाल के खाते में दर्ज किया गया । कंवर लाल के वारिसान ने आराजी को प्रतिवादी कम 02 को बेचान किया गया था । उक्त बेचान में सेटलमेंट विभाग द्वारा जो रकबा बढाया गया था उसका भी बेचान कंवरलाल के वारिसान द्वारा किया गया है जो गलत है । सेटलमेंट विभाग द्वारा वादीगण के खातेदारी अधिकार के रकबे को कम करने एवं उस रकबे को किसी अन्य की खातेदारी में दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी कम 02 के पूर्व खातेदार कंवरलाल पुत्र हीरा से कय किये गये बढे हुए रकबे में से वादीगण का पूर्व रकबे के अनुसार कमी रकबा 0.22 हैक्टर भूमि को प्रतिवादी कम 02 के खाते से विलोपित करते हुए वादीगण की खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

4. प्रतिवादी कम 02 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21.06.2019 एवं डिक्री दिनांक 23.07.2019 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.06.2019 एवं डिक्री दिनांक 23.07.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण अपीलान्ट के पिता को विधिवत रूप से आवंटित हुई थी । उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी में दर्ज हो चुकी है । सेटलमेंट विभाग ने उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 209 कायम करते हुए रकबा 0.39 हैक्टर कायम कर दिया जो गत रकबे से कमी करते हुए दर्ज किया गया है । कम किया गया रकबा उक्त भूमि के लगवा आराजी खसरा नम्बर 65 में मिला दिया गया । वादीगण के खातेदारी में दर्ज की हुई भूमि का रकबा कम करते हुए पूर्व खातेदार कंवरलाल वल्द हीरा के खाते में दर्ज किया गया । कंवर लाल के वारिसान ने आराजी प्रतिवादी कम 02 को बेचान की गई थी । उक्त बेचान में सेटलमेंट विभाग द्वारा जो रकबा बढाया गया था उसका भी बेचान कंवरलाल के वारिसान द्वारा किया गया है जो गलत है । सेटलमेंट को रकबे में बिना सक्षम आदेश के कमी करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2019 एवं डिक्री दिनांक 23.07.2019 निरस्त फरमाये जावें ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट वादीगण के पिता काल्या आत्मज धूल्या को आराजी खसरा नम्बर 79 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा आराजी आवंटित हुई थी और गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी । इंतकाल संख्या 109 के आधार पर आराजी वादीगण अपीलान्ट के नाम दर्ज हुई और नामान्तरकरण संख्या 114 से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये । उक्त भूमि के हाल सेटलमेंट खसरा नम्बर 209 रकबा 0.39 हैक्टर कायम किया गया जो कि उक्त रकबे में कमी करते हुए दर्ज किया गया है । उक्त भूमि के लगवा गत आराजी खसरा नम्बर 65 स्थित थी जो कंवर लाल वल्द हीरा कौम भील की खातेदारी की भूमि थी, जिसका रकबा सेटलमेंट से पूर्व 04 बीघा 05 बिस्वा था । उक्त भूमि का सेटलमेंट विभाग ने नया खसरा नम्बर 208 रकबा 0.83 हैक्टर कायम किया गया । इस भूमि का रकबा बढाते हुए दर्ज किया गया है । वादीगण के खातेदारी में दर्ज की हुई भूमि का रकबा कम करते हुए पूर्व खातेदार कंवर लाल वल्द हीरा के खाते में दंर्ज की गई । कंवर लाल के वारिसान ने आराजी प्रतिवादी कम 02 को बेचान की थी । उक्त बेचान में सेटलमेंट द्वारा जो रकबा बढाया गया था उसका भी बेचान कंवरलाल के वारिसान द्वारा किया गया है जो गलत है । सेटलमेंट को वादीगण अपीलान्ट के खाते की आराजी को कम करने का कोई अधिकार नहीं था । अपीलान्ट ने विक्रय पत्र को चैलेंज नहीं किया है वरन् अपने रकबे की दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है । दस्तावेजों की विवेचना विधि सम्मत रूप से नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2019 एवं डिक्री दिनांक 23.07.2019 निरस्त फरमाये जावें ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना होता है । वादी अपने दावे को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कर पाये हैं । रेस्पोडेन्ट ने वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है और उस काबिज हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादीगण खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2019 एवं डिक्री दिनांक 23.07.2019 बहाल रखे जावें ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2038 से 2057 संलग्न है जिसके अनुसार रामलाल पिता काल्या, रामनाथी पुत्री काल्या केशर बेवा काल्या जाति भील के खाते में खसरा नम्बर 209 की रकबा 0.39 हैक्टर भूमि दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2030 से 2033 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 02 किता की रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा आराजी कंवरलाल वलद हीरा के खातेदारी में दर्ज है जिसमें खसरा नम्बर 65 की 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि शामिल है । नकल जमाबन्दी संवत् 2030–33 में काल्या आत्मज धूल्या के गैर खातेदारी में खसरा नम्बर 69 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि दर्ज है । भू–प्रबन्ध विभाग का खसरा पत्रक के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 79 की रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 209 रकबा 0.39 हैक्टर और खसरा नम्बर 65 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 208 रकबा 0.83 हैक्टर कायम किये गये हैं । नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038–2057 संलग्न है उसमें भी इसी अनुसार इन्द्राज है । साबिक खसरा नम्बर के नक्शा ट्रेस की प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है जिसमें खसरा नम्बर 65 ओर खसरा नम्बर 79 दोनों ही लगवा हैं । हाल खसरा नम्बर की नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73

नया खाता संख्या 35 संलग्न है जिसके अनुसार गंगाबाई पत्नी गोपाल जाति भील प्रतिवादी कम 02 के खाते में खसरा नम्बर 208 की रकबा 0.83 हैक्टर भूमि दर्ज है ।

11. वादी की ओर से बयान गोपाल पीडब्ल्यू– 1 कराये हैं ।

12. प्रतिवादी की ओर से डीडब्ल्यू– 1 गंगाबाई का शपथ पत्र पेश किया है । परन्तु इस शपथ पत्र को न्यायालय में उपस्थित होकर ताईद नहीं करवायी गई है ।

13. प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात को प्रदर्शित भी नहीं करवाया गया है जो सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय के अंतिम पृष्ठ में समस्त तनकीयात को एक साथ निर्णित कर दिया है जबकि प्रत्येक तनकी की विवेचना दस्तांवेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर किया जाना सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य होता है ।

14. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण अपीलान्ट ने हाल खसरा नम्बर के नक्शा ट्रेस की नकल पेश नहीं की है जिसका पूर्व नक्शा ट्रेस से मिलान कर यह निर्धारण किया जा सके कि वादी अपीलान्ट के खाते का जो रकबा है कम हुआ है वह किस खसरा नम्बर में शामिल किया गया है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2019 एवं डिक्री दिनांक 23.07.2019 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि तहसील से कमी रकबे बाबत् रिपोर्ट प्राप्त कर पैरा संख्या 13 एवं 14 में किये गये विवेचन के अनुसार प्रत्येक तनकी का स्पष्ट रूप से विवेचन करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 11.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 25.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा